(9)

न्यायालय श्री मान् माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2014

524
3.9.14

R-3301-II/14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

1- सिद्धनाथ धरकार | तीनो के पिता स्व० श्री बाबूलाल धरकार,
2- रमेश कुमार धरकार | सभी निवासीगण ग्राम हर्रैया, तह० व जिला
3- विश्वनाथ धरकार | सिंगरौली म०प्र० ------ निगराकारगण

श्री .... एड के द्वारा आज दिनांक 3-9-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट-रीवा

विरुद्ध

क्रमांक 3058 ... आज दिनांक ...
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- नारायणदेव विश्वकर्मा तनय रामदास विश्वकर्मा

2- सुरेन्द्रकुमार जायसवाल तनय सीताप्रसाद जायसवाल

3- जवाहिर प्रसाद तनय तेजलाल चमार सभी निवासी ग्राम हर्रैया, तह० व जिला सिंगरौली म०प्र०

4- शासन म०प्र० द्वारा जरिये कले० सिंगरौली म०प्र० --- गैर निगराकारगण

निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र० 128/निगरानी/94-95 आदेश दिनांक 30-7-14ई०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3301–दो/2014 जिला सिंगरौली

सिद्धनाथ घरकार विरूद्ध नारायण देव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 128/निगरानी/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 30–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्ययालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक की ओर से अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अनावेदक द्वारा प्रकरण को समाप्त किये जाने बावत आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया था, जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–7–14 के द्वारा स्वीकार करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपील अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उनके द्वारा ही आवेदन देकर अपील को समाप्त कराया है। अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी ग्राह्य करने का औचित्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	